

कैम्प दाखिल खारिज बाद सं०..... 384/13-14

कार्यालय अंचलाधिकारी, पटना सदर (पटना)

आज दिनांक को ग्राम रुका कुचर में आयोजित कैम्प में
श्री मती सरोज देवी w/o श्री स्वामी विनोद प्रसाद के श्री चैम कुमार् के अमनाथ
बल्द श्री स्वामी विनोद प्रसाद
ग्राम गोपालबाद थाना सरमरा जिला नामदा
बसीका नं० 6319 दिनांक 08/03/13 के द्वारा निर्मांकित जमीन का
दाखिल खारिज के लिए अनुरोध किया है।

जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा	लगान
<u>रानीपुर</u>	<u>19</u>	<u>203</u>	<u>4240</u>	<u>2400</u> <u>करीबत</u>	<u>200</u>

181057113

कैम्प में उपस्थित राजस्व/कर्मचारी पर अंचल निरीक्षक से जांच करायी गयी। जाँच प्रतिवेदन अभिलेख में संलग्न है। उनलोगों ने आवेदक के नाम से दाखिल खारिज करने की अनुशंसा किए हैं। कैम्प में उपस्थित व्यक्तियों को नामान्तरण की दशा में कोई आपत्ति नहीं है।

अतः राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आधार पर दाखिल खारिज
..... किया जाता है।

शुद्धि पत्र निर्गत करें।

लेखापति

अंचलाधिकारी, पटना सदर

प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 18/03/13

अंचलाधिकारी, पटना सदर